अनुसूचित जाति उप–योजना के अंतर्गत किसानों को उन्नत बीज व खाद उपलब्ध कराया गया

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा वित–पोषित अनुसूचित जाति उप–योजना के अंतर्गत जोधपुर जिले के 5 उपखण्डों मे 17 चयनित गाँवो के 536 अनुसूचित जाति के किसान परिवारों को निशुल्क खरीफ फसलों के उन्नत बीज तथा डीएपी व यूरिया खाद का वितरण किया गया। उन्नत खरीफ फसल के बीजों में बाजरा की शंकर किस्म MPMH-17 व RHB-177, मूँग की IPM 205-7 मोठ की CZM-3 व ग्वार की RGC-936 एवं RGC-1033 शामिल थी। योजना के नोडल अधिकारी डॉ. पी.आर. मेघवाल ने बताया कि प्रत्येक किसान परिवार को बीज के साथ–साथ एक–एक कटा युरिया व DAP का भी दिया गया । खाद बीज वितरण के दौरान सभी किसानों को खरीफ फसलों की उचित बुवाई की विधि व रासायनिक खादों के प्रयोग की जानकारी भी दी गयी। यह कार्य 15 जून से 15 जुलाई 2020 की अवधि मे बुवाई के समय के अनुसार किया गया।

काजरी निदेशक डॉ. ओ.पी. यादव ने कहा कि किसान भारत सरकार की इस योजना का लाभ उठावें तथा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार खेती करें, इससे उत्पादन एवं आय अधिक मिलेगी। डेरिया गावॅ के किसान अनोपाराम व भगाराम ने बताया कि इस योजना से गांवो के गरीब किसानो काफी मदद मिली हैं। हमस ब किसान वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार खेर्ती करेंगें ताकि अधिकतम उत्पादन मिले और खेती से आमदनी बढे ।